

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा

पत्रांक-मान्यता/1305-14/2014-15

दिनांक-31-5-2014

प्रबन्धक

लिमरा इण्टरनेशनल स्कूल

निकट स्टेडियम जी0टी0 रोड एटा

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख, 31-8-2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2014 के प्रस्ताव संख्या 05 में शासनादेश दिनांक 8-5-2013 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार में लिमरा इण्टरनेशनल स्कूल निकट स्टेडियम जी0टी0 रोड एटा को दिनांक 1.07.2014 से 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए (ब) श्रेणी की अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध1) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 6 से 8 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निः शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(II) किसी भी बालक को शारिरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

31/5/2014

Manager

Limra International School
Etah

3

- (VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
- (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,
- (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
- कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई
वाधारहित पंहुच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- 10 विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एंकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्याक 01/2014 है। कृपया नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17 संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य निम्न शर्तें।

A- शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यपक-एक पद सहायक अध्यापक चार पद लिपिक- एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-एक पद अनुमन्य होंगे।

11-11-2014

स्व. प्रमाणित

Manager
Simra International School
Roh

41

B- विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठ्य पुस्तको को उपयोग किया जायेगा।

C- विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरो के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।

D- शासकीय/विभागीय आदेशो का पालन न करने एवं गलत तथ्यो के प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय,

(एस०एस०यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा
31/5/2014

पृष्ठांकन-स०/ मान्यता/

/2014-15 दिनांक-वही।

प्रतिलिप निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2 मडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अलीगढ़।
- 3 जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा।
- 4 वित एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, एटा।
- 5 संबधित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद एटा।


2-6/5/2014
Manager
Limra International School
Etah

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा